

फदे अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (नागौर)

दीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

राम प्रकरण - राजन्व वाद

अंवरराम बौरह

राजस्व वाद सं. 76/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
20-8-18	यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री बलीराम बौरह ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20-8-18 को पेश हो।	
20-8-18	पत्रावली पेश श्री पट्टलाम उपन तालकी के इन्तजान के पत्रावली डि 30-11-18 को पेश हो।	
30-11-18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता P.O. सा. चुन्नाव कार्ड के अहकाम पीठासीन अधिकारी को भ्रष्टि में प्रमण अवकाश पर गये हुये हु, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 01-04-19 को प्रस्तुत करे।	
01-04-19	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता P.O. सा. चुन्नाव कार्ड के अहकाम पीठासीन अधिकारी को भ्रष्टि में प्रमण अवकाश पर गये हुये हु, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26-8-19 को प्रस्तुत करे।	
26-8-19	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी को भ्रष्टि में प्रमण अवकाश पर गये हुये हु, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26-8-19 को प्रस्तुत करे।	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
21/1/22	<p>पत्रावली नम्बर/ वजिल बादी अनुपस्थित। आवाजे लगाई गई। बाद भागाद एवं इन्तजात उपस्थित कले के उपरान्त भी वजिल बादी उपस्थित नहीं आये एवं व ही बादीगण उपस्थित आये। अतः बादीगण का तथ्य बाद अदालत पर अदालत हाजरी में वारिज किया गया ही पत्रावली नम्बर के क्रम धरत दाखिल पफता ही।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	